दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 20 मई 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 231

महत्वपूर्ण एवं खास

यात्रियों से भरा वाहन चट्टान से फिसलकर नीचे गिरा, 11 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

नानिंग। चीन के दक्षिणी गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के जिंग्शी शहर में शुक्रवार तडक़े एक सडक़ दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गयी। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिंग्शी नगरपालिका प्रशासन के एक बयान के अनुसार, दुर्घटना आज सुबह करीब 6.30 बजे उस वक्त हुई, जब 14 लोगों को लेकर जा रहा यात्री वाहन सिमिंग गांव के पास अनियंत्रित होकर एक चट्टान से फिसलकर नीचे गिर गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गयी और अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी से राहत

मुंबई (आरएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिया है कि क्रूज शिप ड्रग्स छापे के बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी से संबंधित कथित 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से परहेज करे। समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व-मुंबई जोनल निदेशक हैं। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की एक अवकाशकालीन पीठ ने यह भी कहा कि प्रथम ²ष्टया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 17ए के तहत एक कानूनी रोक थी, जो 2021 में हुए कथित अपराध के चार महीने के भीतर जांच को पूरा करने के लिए अनिवार्य करती है। आईआरएस अधिकारी के वकील रिजवान मर्चेंट के अनुसार, चूंकि धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया गया है, न्यायाधीशों ने सीबीआई को 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई से रोक दिया है, जब मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं वानखेड़े ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका और केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह उन्हें झूठे मामले में न्याय दिलाएंगे, जिसमें उन्हें फंसाया जा रहा है।

ए यूनिक स्टाइल ऑफ इंडो-सारासेनिक बिल्डिंग खालसा कॉलेज अमृतसर डाक्यूमेंट्री रिलीज

अमृतसर (आरएनएस)। आज खालसा कॉलेज परिसर में सादे लेकिन प्रभावशाली समारोह में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ए यूनिक स्टाइल ऑफ इंडो-सारासेनिक बिल्डिंग-खालसा कॉलेज अमृतसर का विमोचन किया गया। यह फिल्म प्रसिद्ध विरासत प्रमोटर और प्रकृति प्रेमी हरप्रीत संधू द्वारा निर्मित और निर्देशित है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश काल के दौरान 1892 में स्थापित एक विरासत खालसा कॉलेज भवन अजूबे को उजागर करना है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म का प्रीमियर प्रतिष्ठित हस्तियों की मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खालसा कॉलेज गवर्निंग काउंसिल के आनरेरी सचिव राजिंदर मोहन सिंह छीना ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐतिहासिक वास्तुकला का संक्षिप्त परिचय है, जो अपनी अनूठी शैली के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इस अवसर पर आयकर आयुक्त आईआरएस गरिश बाली, नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि, अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क आईआरएस जोगिंदर सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त सुरिंदर सिंह, कस्टम जाइंट कमिश्नर आईआरएस नवनीत कौशल, सीमा शुल्क उपायुक्त, आईआरएस अतुल तिर्की एवं कालेज प्रिंसिपल डॉ. महल सिंह मौजूद रहे।

2000 रुपए के बैंक नोटों को प्रचलन से किया गया बाहर, 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे नोट

नई दिल्ली । देश में 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों को 30 सितंबर तक यह नोट बदलवाने की सलाह दी है. बैंक में एक बार में 20 हजार रुपये, यानि 2000 के 10 नोट तक बदलकर उनकी जगह छोटे नोट लिए जा सकेंगे. सभी बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा मिलेगी. आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 2,000 रुपये के नोट जारी करना तुरंत बंद करें.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह 2,000 रुपये के नोट प्रचलन से हटा रहा है और लोग यह नोट 30 सितंबर तक बदल सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 19 क्षेत्रीय कार्यालय 23 मई से कम मूल्यवर्ग के नोटों के साथ बदलने के लिए 2,000 रुपये के नोट लेना शुरू करेंगे.

गौरतलब है कि नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रातोंरात 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद किए जाने के बाद रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट की छपाई शुरू की थी.

आरबीआई ने एक बयान में कहा, "2,000 रुपये के बैंक नोट लाने का उद्देश्य तब पूरा हुआ जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए. इसलिए, 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई."

आरबीआई ने कहा, "परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में 2,000 रुपये के बैंक नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में. एक बार में 20,000 की सीमा तक बदला जा सकता है."

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों से कहा है कि वे 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं या उनकी जगह कम मूल्यवर्ग के नोट ले सकते हैं.

आरबीआई ने कहा, "2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे. इनके चार-पांच साल के अनुमानित जीवनकाल का अब इनका अंत हो रहा है. इस मूल्य वर्ग के बैंक नोट 31 मार्च, 2018 को प्रचलन में अपने चरम पर थे. तब दो हजार के 6.73 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन में थे. यह सर्कुलेशन 31 मार्च 2023 को घटकर 3.62 लाख करोड़ हो गया.''

केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस नोट का इस्तेमाल आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है. आरबीआई ने 2013-2014 में भी इसी तरह नोटों को चलन से वापस लिया था. रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2022 तक के तीन वित्तीय वर्षों में 2000 रुपये का एक भी नोट नहीं छापा गया है. बाजार में इस मूल्य वर्ग के नोटों का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 की शाम को की गई घोषणा के साथ देश में 500 और 1000 रुपये के नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे. इसके बाद 500 रुपये के नए नोट छापे गए थे और 2000 रुपये का नए मूल्यवर्ग का नोट बाजार में आया था. देश में 2000 रुपये का नोट वित्तीय वर्ष 2017-2018 में सबसे अधिक प्रचलन में रहा. तब बाजार में 2000 रुपये के 6.73 करोड़ मूल्य के 33,630 नोट थे.

सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, आज चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज आज शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ लेंगे। शपथग्रहण समारोह आज सुबह 10.30 बजे आयोजित होगा। इस समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने तीन दिनों के भीतर उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी ताकत पर वापस आ जाएगा।

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी 12 मई को और न्यायमूर्ति एमआर शाह 15 मई को अपने-अपने पदों से रिटायर हुए थे। इसके साथ ही जजों की संख्या 32 हो गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। आने वाले महीनों में चार और न्यायाधीश रिटायर होने वाले हैं। आने वाले समय में और भी जज नियुक्त किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा का मूल कैडर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है। उन्हें 13 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने लगभग बारह वर्षों के कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कानून के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है। उनके निर्णयों में कानून और न्याय से संबंधित व्यापक मुद्दे शामिल हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की नियुक्ति उनके अर्जित ज्ञान और अनुभव का फायदा मिलेगा।

हिडनबर्ग मामले में सुप्रीमकोर्ट की कमेटी से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट, शेयरों में आई तेजी

नई दिल्ली (आरएनएस)। अडानी-हिंडनबर्ग के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष समिति की रिपोर्ट सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट्स के पैनल ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है। एक्सपर्ट पैनल ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से नियमों में कोई चूक नहीं हुई है। एक्सपर्ट पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप की तरफ से शेयरों की कीमतों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और ग्रुप ने रिटेल इनवेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।

वहीं इस रिपोर्ट के बाद आज अडानी पावर और अडानी ग्रीन के शेयरों में दोपहर एक बजे के बाद से तेजी देखने को मिली। दोनों ही स्टॉक्स में पांच फीसदी की तेजी के साथ अपर सर्किट लगा। अडानी पावर 236.30 रुपये पर पहुंच गया और अडानी ग्रीन 903.55 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। अडानी विल्मर में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। ये 7.54 फीसदी की तेजी के साथ 406.50 रुपए पर कारोबार कर करता नजर आया। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 3 प्रतिशत तक चढ़ गए।

पैनल के मुताबिक सेबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों ने संकेत दिया है कि अडानी की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कोई खास पैटर्न नहीं है। इसमें उतार-चढ़ाव बाजार के हिसाब से होने की संभावना दिख रही है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने शेयरों के साथ हेरफेर की है और प्राइस को ओवर वैल्यू कर दिया गया।

23 साल पुराने हत्या के मामले में बरी हुए केंद्रीय मंत्री टेनी

लखनऊ (आरएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 2004 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित उनके बरी करने के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

साल 2000 में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में छात्र नेता गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में टेनी, सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी और राकेश डालू को आरोपी बनाया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने साल 2004 में टेनी को बरी कर दिया था, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बरी होने के खिलाफ अपील की थी।

मृतक प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।

टेनी पर आरोप लगाया गया था कि पंचायत चुनाव को लेकर उसका प्रभात गुप्ता (मृतक) से विवाद हुआ था और इसलिए गुप्ता को टेनी व अन्य आरोपियों ने गोली मार दी थी।

दूसरी ओर, टेनी के वकीलों ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने कथित चश्मदीद गवाह की गवाही को विश्वसनीय नहीं पाया और अन्य गवाह मुकर गए। तीन बार मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

पहली बार 12 मार्च 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था।

दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 नवंबर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल ने फैसला सुरक्षित रखा था। तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को जस्टिस मसूदी और शुक्ला की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था।

इस बीच, प्रभात गुप्ता के परिवार के सदस्यों ने संवाददाताओं से कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

उनके भाई ने कहा मामला 23 साल से चल रहा है और अब हमें बताया गया है कि कोई आरोपी नहीं है। मेरे भाई को मार दिया गया था, लेकिन अदालत का कहना है कि किसी ने उसे नहीं मारा।

सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को किया तलब

कोलकाता (आरएनएस)। सीबीआई ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। पूर्व निर्धारित पार्टी कार्यक्रम के लिए बांकुड़ा जिले में मौजूद बनर्जी ने कहा कि वह समन का पालन करेंगे और इस उद्देश्य के लिए वह शुक्रवार को ही कोलकाता वापस आएंगे।

सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल द्वारा 19 मई को जारी समन के अनुसार, बनर्जी को मध्य कोलकाता में एजेंसी के निजाम पैलेस कार्यालय में शनिवार सुबह 11 बजे तक उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे 20 मई को पूछताछ के लिए सीबीआई से समन मिला है। एक दिन पहले नोटिस नहीं दिए जाने के बावजूद मैं समन का पालन करूंगा। जांच के दौरान मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा।

जहां तक मेरी हैशटैग जोनोसंजोगयात्रा का संबंध है, यह 22 मई को बांकुरा में उसी स्थान से फिर से शुरू होगी जहां मैं आज रुका हूं। इन घटनाओं से विचलित हुए बिना, मैं और अधिक समर्पण, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने का प्रयास करूंगा। जो है सामने लाइए।

कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को सीबीआई और ईडी को बनर्जी और तृणमूल नेता कुंतल घोष से मामले में पूछताछ करने के लिए आगे बढऩे का संकेत दिया था। न्यायमूर्ति सिन्हा ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए बनर्जी और घोष पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शुक्रवार की सुबह, बनर्जी के वकील ने हाईकोर्ट की दो खंडपीठों से संपर्क करके एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी और मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई की भी अपील की। हालांकि, दोनों खंडपीठों ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सीबीआई का समन आया।

जेवर एयरपोर्ट का असर : कजाकिस्तान की कंपनी लॉजिस्टिक पार्क में 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी

ग्रेटर नोएडा। जेवर एयरपोर्ट का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। कजाकिस्तान की कंपनी यहां के लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करेगी। इसके लिए उसने 200 एकड़ जमीन की मांग की है। इसमें वह 1000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। अपना यह प्रस्ताव गुरुवार को कजाकिस्तान की कंपनी ने यमुना अथॉरिटी की प्रभारी सीईओ मोनिका रानी से मुलाकात कर उन्हें सौंपा। कजाकिस्तान से आई कंपनी के अधिकारियों ने यमुना अथॉरिटी में पहुंचकर प्रभारी सीईओ मोनिका रानी से मुलाकात की। कंपनी के प्रतिनिधिमंडल में समूह के अध्यक्ष एवं रणनीतिक निदेशक इवान मजऱीलिकिन, सीईओ विटाली मर्जीलिकिन, इरीना पींगगोरिना, अमरदीप सिंह और कैप्टन राहुल वर्मा शामिल रहे।

एएल स्टाइल कंपनी ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बाजना-टप्पल में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की इच्छा जताई है। इसके लिए उसने 200 एकड़ जमीन मांगी है। अधिकारियों ने पीपीपी मॉडल के जरिये इस परियोजना को बढ़ाने के लिए कहा। पर कंपनी ने खुद जमीन खरीदकर काम करने की इच्छा जताई है। इस परियोजना से यहां पर प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

यह कंपनी कंप्यूटर, नेटवर्क, इंस्टालेशन डिवाइस, कंपोनेंट, बच्चों के लिए खिलौने, मौसमी सामान और मोबाइल फोन आदि के क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी को कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में फोर्ब्स पत्रिका ने शीर्ष 100 कंपनियों में से 35वां स्थान दिया है।

किरेन रिजिजू ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पदभार संभाला, बोले- राजनीतिक बात नहीं करूंगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। रिजिजू ने शुक्रवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जाकर नए केंद्रीय मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बहुत ही उपयोगी मंत्रालय नजर आ रहा है जहां पर बहुत काम किया जा सकता है।

रिजिजू ने पृथ्वी को बचपन से अपनी रुचि का विषय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा कि उन्होंने उन्हें अलग-अलग मंत्रालय में काम करने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया। रिजिजू ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सपने को साकार करने में इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा।

जब उनसे पूछा गया कि उनसे कानून मंत्रालय क्यों वापस ले लिया गया? तो उन्होंने कहा कि मैं आज राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई। फेरबदल तो चलता रहता है। विपक्ष का काम ही मेरे खिलाफ बोलना। उनको बोलने दीजिए, यह प्रक्रिया का हिस्सा है।

आपको बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया था। उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस फेरबदल के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को ही कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया था।

राज्य के साढ़े 24 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलेगी 1895 करोड़ रूपए की पहली किश्त, मुख्यमंत्री कल करेंगे जारी

❐ **राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार दे चुकी है राज्य के किसानों को अब तक 18,208 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी**

रायपुर (आरएनएस)। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस साल दी जाने वाली सौगातों के सिलसिले कि शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में आयोजित होने वाले भरोसे के सम्मेलन में राज्य के 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को इस योजना की पहली किश्त के रूप में 1894 करोड़ 93 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण उनके बैंक खातों में करेंगे। इसके बाद किसानों को आगामी अगस्त, अक्टूबर और मार्च महीने में क्रमश: तीन और किश्तों में राशि दी जाएगी जो लगभग 6000 करोड़ रुपए की होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, परन्तु बीते खरीफ सीजन में पंजीकृत किसानों की संख्या ,रकबा और धान की रिकार्ड खरीदी को देखते हुए इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी की यह राशि लगभग 8000 करोड़ होने का अनुमान है।

गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कृषि लागत में कमी लाने, फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीफ फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2019 से लागू इस योजना के तहत राज्य के किसानों को अब तक 18208 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत चार किश्तों में किसानों को लगभग 8000 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी के रूप में मिलेंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 के धान उत्पादक 18.43 लाख किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से 5627 करोड़ 2 लाख रूपए इनपुट सब्सिडी के रूप में वितरित किया गया था जब कि खरीफ वर्ष 2020 के धान उत्पादक 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ 8 लाख रूपए का भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया। वर्ष 2021 से इस योजना में समस्त खरीफ फसलों एवं उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है एवं उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किए गए रकबे में धान के बदले अन्य फसलों की खेती, उद्यानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। खरीफ वर्ष 2021 में विभिन्न फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक 23.35 लाख कृषकों को 7028 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।